

संयुक्त निरीक्षण आख्या (कोसी नदी)

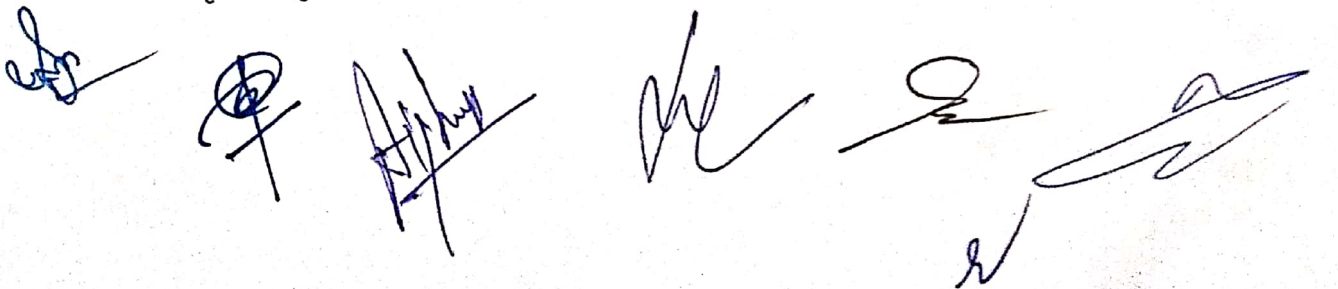
कार्यालय प्रभागीय लैंगिक प्रबन्धक खनन रामनगर उत्तराखण्ड वन विकास निगम, खनन प्रभाग रामनगर जिला नैनीताल के पत्र संख्या 952/खनन सत्र 2021-22 दिनांक 05.08.2021 के द्वारा कोसी नदी (181है0) एवम् दाबका नदी (112है0) से आगामी 10 वर्षों के लिए उपखनिज के चुगान के नवीनीकरण किये जाने हेतु जिलाधिकारी नैनीताल को प्रेषित पत्र के क्रम में जिलाधिकारी नैनीताल के पत्र सं0 1558/30-जी0सी0/2021-22 दिनांक 03 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड हल्द्वानी-नैनीताल के पत्र संख्या 687/भू0खनि0ई0/खनन-कोसी /2021-22 दिनांक 18.09.2021 के द्वारा उत्तराखण्ड बालू, बजरी बोल्टर चुगान नीति, 2016 में दिये गये प्राविधानों के दृष्टिगत उत्तराखण्ड वन विकास निगम (कोसी/दाबका नदी) में स्वीकृत उपखनिज खनन पट्टा के आगामी 10 वर्षों हेतु नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदित क्षेत्र का संयुक्त निरीक्षण राजस्व विभाग, सिंचाई विभाग, वन विभाग, एवं खनन विभाग (गठित समिति) के द्वारा उत्तराखण्ड वन विकास निगम के प्रतिनिधि की उपस्थिति में निर्धारित दिनांक 23.09.2021 को सम्पन्न किया गया। आवेदक द्वारा खनन पट्टा हेतु निर्धारित आवेदन प्रपत्र एम0एम0-1 क पर आवेदन किया गया है तथा खनन पट्टा आवेदन शुल्क रू0 1,00,000/- ई चालान सं0 08531021E0577194 दिनांक 05 अक्टूबर 2021 द्वारा निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा कर दिया गया है। जिसकी संयुक्त निरीक्षण आख्या निम्नवत् है:-

राजस्व विभाग:- उत्तराखण्ड वन विकास निगम कोसी नदी द्वारा पूर्व से आवंटित खनन लॉट कुल क्षेत्रफल 254है0 जिसमें से नदी के दोनों किनारों के 25-25 प्रतिशत भाग को छोड़त हुए वर्तमान में 127है0 भूमि में उपखनिज चुगान कार्य किया जा रहा है, जिसमें खनन पट्टा आगामी 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया है। कोसी नदी में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उपखनिज उपलब्ध है जिसमें आगामी दस वर्षों तक खनन पट्टा नवीनीकरण किया जा सकता है।

वन विभाग:- प्रभागीय वनाधिकारी के प्रतिनिधि के द्वारा अवगत कराया गया है कि खनन/चुगान हेतु प्रस्तावित क्षेत्र आरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत स्थित है तथा कोसी नदी में वर्तमान में पर्याप्त मात्रा में उपखनिज उपलब्ध है, जिसमें आगामी दस वर्षों तक खनन पट्टा नवीनीकरण किया जा सकता है। वन विकास निगम को खनन पट्टा के नवीनीकरण करने से पूर्व भारत सरकार से F.C (Forest Clearance) लेना आवश्यक होगा।

सिंचाई विभाग:- सिंचाई विभाग के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया है कि आवेदित क्षेत्र कोसी नदी में स्थित है। नदी के दोनों किनारों से 25-25 प्रतिशत दूरी छोड़कर तथा चुगान क्षेत्र में Underground Water Lable या अधिकतम 3.00 मीटर की गहराई जो भी न्यून हो तक खनन कार्य किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त पूल से 100 मीटर अपस्ट्रीम तथा 100 मीटर डाउन स्ट्रीम क्षेत्र को प्रतिबंधित करते हुए उपखनिज का चुगान कार्य अनुमत गहराई तक किया जा सकता है।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई:- वन विकास निगम के पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्राप्त पर्यावरणीय स्वीकृति में कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल 254है0 के सापेक्ष नदी के दोनों किनारों से 25-25 प्रतिशत भाग



को छोड़कर 127 हे० भूमि (मध्य भाग) में भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय के पत्र संख्या (F.C.F NO- 8-61/1999-F (M-1)) दिनांक 15.02.2013 द्वारा F.C (Forest Clearance) 10 वर्षों हेतु प्रदान की गयी है। उपरोक्त खनन लॉट हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति में तत्समय में कुल 20.30 लाख घन मीटर उपखनिज प्रतिवर्ष निकासी किये जाने हेतु स्वीकृति प्रदान है।

अरक्षित वन क्षेत्रान्तर्गत जनपद नैनीताल स्थित कोसी नदी में उपखनिज चुगान के लिए प्रचुर मात्रा में उपखनिज रेत, बजरी, बोल्टर मिश्रित अवस्था में एकत्रित है। प्रस्तावित स्थल से नियमानुसार नदी पुल, सैधनिक संस्थान, आवसीय भवन, श्मशान घाट, सड़क आदि 100 मीटर की दूरी पर छोड़ते हुए खनन कार्य किया जाएगा। प्रश्नगत क्षेत्र से खनिजों की निकासी हेतु पहुँच मार्ग उपलब्ध है। उल्लेखनीय है कि शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या 1561/VII-1/80-ख/2016 दिनांक 30 सितम्बर, 2016 के द्वारा राज्य में प्रख्यापित उत्तराखण्ड उपखनिज बालू, बजरी, बोल्टर चुगान नीति-2016 के बिन्दु संख्या-3 क में उल्लेख है कि उपखनिज क्षेत्रों में निक्षेपित उप खनिज बालू, बजरी, बोल्टर की अधिकतम मात्रा वही मानी जायेगी जो पर्यावरणीय स्वीकृति में निर्धारित की गयी है। पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या 11015/360/2009-IA.II(M) दिनांक 13 अप्रैल 2011 के द्वारा पर्यावरणीय अनुमति में कोसी नदी से प्रतिवर्ष 36.54 लाख टन खनिज की मात्रा निर्धारित की गयी है। तत्पश्चात् पर्यावरणीय अनुमति पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मन्त्रालय भारत सरकार के पत्र संख्या F.No.J-11015/360/2009-IA.II(M) दिनांक 30 मार्च 2021 के द्वारा जारी किया गया है, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 15 फरवरी 2023 तक की गयी है।

भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड देहरादून के कार्यालय ज्ञाप संख्या 422/खनन/भूखनि0ई0/मा0प्लान/2020-21 दिनांक 24 मई 2021 द्वारा खनन योजना अनुमोदित की गयी है। वर्तमान में कोसी नदी में पर्याप्त मात्रा में उपखनिज उपलब्ध है।

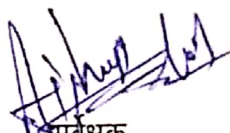
उत्तराखण्ड वन विकास निगम के पक्ष में (कोसी नदी) स्वीकृत खनन पट्टे के अग्रेत्तर 10 वर्षों के लिए नवीनीकरण किये जाने हेतु गठित समिति द्वारा संस्तुति निम्नलिखित प्रतिबंध/शर्तों के अधीन की जाती है।

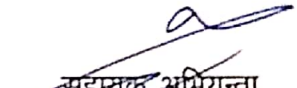
आवश्यक प्रतिबंध/शर्त:-

- 1- पट्टाधारक उत्तराखण्ड वन विकास निगम द्वारा स्वामित्व का भुगतान निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करना होगा। जमा चालान की प्रति भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी, के कार्यालय तथा जिलाधिकारी कार्यालय में प्रस्तुत करेगा। उपखनिज निकासी का विवरण (प्रपत्र एम0एम0-12) प्रत्येक माह भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी, व जिलाधिकारी कार्यालय नैनीताल में प्रस्तुत करेगा।
- 2- पट्टाधारक द्वारा स्वीकृत क्षेत्र में संरक्षित चुगान एवं पर्यावरण की सुरक्षा के लिये शासन एवं जिलाधिकारी, उपनिदेशक खनन, भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई द्वारा समय-समय पर जो दिशा निर्देश जारी किये जायेंगे उनका अनुपालन पट्टाधारक द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- 3- उपखनिज के चुगान हेतु किसी भी प्रकार के विस्फोटकों का प्रयोग किया जाना प्रतिबन्धित होगा।

- 4- यदि खनन/चुगान के दौरान क्षेत्र का कोई भी भाग संवेदनशील हो जाता है या अवैध खनन में लिप्तता पायी जाती है तो खनन के दौरान निकलने वाला समस्त उप खनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा और उसकी क्षतिपूर्ति हेतु आवश्यक कार्यवाही, जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से की जायेगी।
- 5- खनन/चुगान करते समय किसी प्रकार की कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी पट्टाधारक की रहेगी जो कि मान्य होगी।
- 6- यदि पट्टाधारक द्वारा निर्धारित गहराई से अधिक गहराई तक खुदान किया जाता है तो निकाला गया उपखनिज अवैध खनन की श्रेणी में आयेगा।
- 7- पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनवरी 2020 में जारी सैन्ड माईनिंग गाईडलाईन के अनुसार कार्य करना होगा।
- 8 पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार द्वारा (Forest Clearance) लिया जाना अनिवार्य होगा।
- 9- वन संरक्षण अधिनियम-1980, वन संरक्षण नियमावली 1981 और अन्य सम्बन्धित अधिनियम और नियमावली, आदेश और दिशा निर्देश जो कि इस खनन पट्टे हेतु समय-समय पर दिये जाये लागू होंगे।
- 10- उपखनिज की मात्रा का निर्धारण अनुमोदित खनन योजना के अनुसार या पर्यावरणीय अनुमति के अनुसार होगा।


T. C. GHOSH
 Revenue Inspector
 Ramnagar/Chopra
 Tehsil-Ramnagar (Ntl.)


 सबक्षक
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
 नैनीताल


 सहायक अभियन्ता
 प्रतिनिधि सिचाई विभाग


 प्रतिनिधि
 प्रभागीय वनाधिकारी तराई पश्चिमी
 वन प्रभाग रामनगर।
 सदस्य


 संयुक्त निदेशक(खनन)
 भूतत्व एवं खनिकर्म इकाई
 हल्द्वानी।
 सदस्य सचिव


 उपजिलाधिकारी
 (अध्यक्ष)


 वन वनाधिकारी
 रामनगर रेन्ज
 नैनीताल